संकल्प क्रमांक 04 दि.30.3.15

गत सभा दिनांक 23.03.15 के कार्यवृत की पुष्टि करने बाबद।

पंजीयन क्रंमाक 03

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 05 दिनांक 30–03–2015

वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुमानित आय–व्यय पत्रक के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा सभी विभाग प्रमुख एवं विभागीय अधिकारियों से चर्चा उपरान्त बजट मेयर–इन–कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आयुक्त द्वारा प्रस्तुत बजट पर मेयर–इन–काउंसिल द्वारा विचार किया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुलग्न आय–व्यय पत्रक, बजट प्रावधान प्रस्ताव, प्रतिवेदन का अनुमोदन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के

लिये मेयर–इन–काउंसिल द्वारा अनुमोदित प्रस्तावित बजट व संलग्न प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन इत्यादि को स्वीकृति हेतु परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 1386 दिनांक31.3.15

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 04

<u>मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 06 दिनांक 30–03–2015</u>

सिंहस्थ–2016 के कार्यों के अन्तर्गत सांवेर रोड इन्डस्ट्रियल एफ्लुएन्ट को ट्रीट करने हेतु 4 एम.एल.डी.–ई.टी.पी. निर्माण एवं 3 वर्ष के ओ एण्ड एम के साथ ''टर्न की जॉब (लम्प सम) के आधार पर कार्य की निविदा अनुमानित लागत राशि रूपये 15.0 करोड़ (तृतीय आमंत्रण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 113/न.पा.नि./इन्दौर पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि रूपये 15.0 करोड़ की तृतीयबार दिनांक 09–01–2015 को तकनीकी रूप से योग्य प्राप्त 03 निविदाओं में कन्सल्टैन्ट मेसर्स चोखावाटिया एसोसिएट्स प्रा. लि. अहमदाबाद एवं विभाग द्वारा तैयार तकनीकी मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं विभागीय मल्यांकन समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स सोफिस्टीकेटिड इन्डस्ट्रियल मटेरियल एनालिटिक लैबस प्रा.लि. नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम निविदा दर राशि रूपये 14,90,00,000/–की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1387–87 दिनांक 31.03.15

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 05

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 07 दिनांक 30–03–2015</u>

सम्पत्तिकर एवं जलकरदाताओं को अग्रिम कर जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिवर्षानुसारवर्ष 2015–16 में भी सम्पत्तिकर व जलकर में छूट देने एवं पुरस्कार देने पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में एवं वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट अनुसार सम्पत्तिकर/जलकर की राशि अधिक से अधिक जमा हो सके, इस हेतु सम्पत्तिकर/जलकरदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2015–16 में 30 जून–2015 तक अग्रिम कर जमा करने वाले करदाताओं को सम्पत्तिकर में 6.25 प्रतिशत की एवं जलकर में 6 प्रतिशत की छूट देने एवं निम्नानुसार पुरस्कार देने की स्वीकृति दी जाती हैः–

अग्रिम सम्पत्तिकरदाताओं के लिए पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार	01 कार अल्टो
द्वितीय पुरस्कार	05 होण्डा एक्टिवा स्कूटर
तृतीय पुरस्कार	05 एल.ई.डी. टी.वी.
सांत्वना पुरस्कार	05मिक्सर मशीन (प्रत्येक झोन)

अग्रिम जलकरदाताओं के लिए पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार	04 लेपटॉप
द्वितीय पुरस्कार	04 वाशिंग मशीन
तृतीय पुरस्कार	04 माइक्रोवेव ओवन
सांत्वना पुरस्कार	03 मिक्सर मशीन (प्रत्येक झोन)

पुरस्कार हेतु अग्रिम करदाताओं का चयन लकी ड्रा द्वारा किया जावें तथा पुरस्कार वितरण एवं पुरस्कार सामग्री क्रय करने हेतु नियमानुसार सभी औपचारिकताएं एवं प्रक्रिया पूर्ण की जावें।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1389–90 दिनांक 31.03.15

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमाक 06

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमाक 08 दिनांक 30–03–2015

पेयजल संकट से निपटने हेतु प्रायवेट टैंकर लगाये जाने के लिए वार्षिक दरों के निर्धारण हेतु वर्ष 2015–16 की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 3139 दिनांक 13–02–2015 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु संक्षेपिका में उल्लेखित विवरणी अनुसार वर्ष 2015–16 के लिए राशि रूपये 500.00 लाख की विभागीय प्रस्ताव अनुसार तकनीकी एवं निविदा दर आमंत्रित करने की स्वीकृति एवं प्रभारी जलकार्य समिति की राय अनुसार ग्रीष्मकाल में पेयजल की सुचारू व्यवस्था करना अत्यावश्यक कार्य होने से निविदा दर की प्रक्रिया पूर्ण होने तक पूर्व स्वीकृत दर पर सदर कार्य कराया जाने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। भविष्य में निविदा दर आमंत्रित करने की प्रक्रिया समय–सीमा में पूर्ण की जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 1391– 92 दिनांक 31.03.15

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रंमाक 07

मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 09 दिनांक 30–03–2015

नगर निगम के विभिन्न विभागों/राजस्व संग्रहण केन्द्रों पर आधुनिक तकनीकी के कम्प्यूटर की आवश्यकता के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 759/आई.टी./15 दिनांक 04/03/2015 पर प्रभारी, प्लानिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की राय क्रमांक पी.आय.टी. –10/08 दिनांक 25/03/2015 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित एवं अनुशंसा के प्रकाश में नगर निगम के सभी राजस्व संग्रहण केन्द्रों, बिल्डिंग परमिशन, आई.टी. शाखा, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीयन, लायसेन्स, जनकार्य, लेखा विभाग, मार्केट विभाग, जलकर शाखा आदि में विकसित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जावा आदि के प्रभावी संचालन हेतु आधुनिक तकनीकी के

कम्प्यूटर की आवश्यकता होने से 70 डेस्कटॉप कम्प्यूटर एवं 10 लेपटॉप क्रय किये जाने हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय तथा निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर / पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 16–17 दिनांक 6.4.15

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 08

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 10 दिनांक 30–03–2015

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 988 दिनांक 22.02.2014 की स्वीकृति अनुसार शेष 16 छोटे वाहन क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 53 दिनांक 26.12.2014 पर प्रभारी स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग की राय क्रमांक 01 दिनांक 27.03.2015 पर विचार किया गया। मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 369 दिनांक 30.09.2014 का अवलोकन किया गया। चर्चा की गई।

2. मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 988 दिनांक 20.02.2014 से स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का सुचारू सम्पादन हेतु 50 नग छोटे वाहन क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी गई। उक्त स्वीकृति के प्रकाश में विभाग द्वारा 50 नग वाहन क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई एवं उक्त क्रम में मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 369 दिनांक 30.09.2014 द्वारा निगोसिएटेड दर राशि रूपये 5,52,940/– प्रति वाहन की दर पर 34 वाहन राशि रूपये 1,87,99,960/– में क्रय करने की स्वीकृति दी गई।

3. आयुक्त के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 26–12–2014 व संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति व प्रभारी स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग से की गई चर्चा अनुसार निगम सीमा में 29 गांव सम्मिलित होने से निर्मित वार्ड जिनका क्षेत्रफल काफी अधिक है, में सफाई व्यवस्था हेतु छोटे फोर व्हील वाहन की आवश्यकता है, संबंधित पार्षदगणों द्वारा भी छोटे वाहनों की मांग लगातार की जा रही है। उक्त स्थिति की दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में 50 नग वाहन क्रय हेतु आमंत्रित निविदा में से 34 नग वाहन क्रय किये गये है, शेष 16 नग वाहन पूर्व में प्राप्त निविदा में निगोसिएटेड दर पर क्रय किया जाना आवश्यक है।

4. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र व संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं प्रभारी स्वास्थ्य से हुई चर्चा के प्रकाश में 16 नग 1.0 घन की क्षमता के छोटे 4 व्हील वाहन न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स सागर ऑटोमोबाईल प्रा. लि. इन्दौर से निगोसिएटेड दर राशि रूपये 5,52,940/– प्रति वाहन अनुसार 16 नग की कुल राशि 88,47,040/– की विभागीय प्रस्ताव अनुसार क्रय करने की वित्तीय स्वीकृति

निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से किया जावे।

5. मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 369 दिनांक 30.09.2014 द्वारा पूर्व में दी गई न्यूनतम दर स्वीकृति (5,52,940/– प्रति वाहन) एवं 34 नग वाहन क्रय की स्वीकृत राशि रूपये 1,87,99,960/– तथा उपरोक्तानुसार 16 नग वाहन क्रय हेतु राशि रूपये 88,47,040/– सहित कुल योग राशि रूपये 2,76,47,000/– की पुष्टि निगम परिषद से प्राप्त की जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 18–19
दिनांक 6.4.15

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमाक 09

<u>मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमाक 11 दिनांक 30–03–2015</u>

वित्तीय वर्ष 2014–15 में सार्व. नलकूपों, हेडपंपों, कुओं, संपवेलों के वार्षिक संचालन व संधारण संबंधी कार्य हेतु त्रैवार्षिक निविदा दर स्वीकृति के संबंध में आयुक्त के पत्र क्रमांक 3561 दिनांक 23–03–2015 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय पर विचार किया गया। मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 513 दिनांक 31–10–2014 एवं संकल्प क्रमांक 671 दिनांक 27–12–2014 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सार्व. नलकूपों, हेडपंपों, कुओं, संपवेलो के वार्षिक संचालन व संधारण संबंधी कार्य हेतु त्रैवार्षिक प्राक्कलन राशि रूपये 9,03,33,522/– पर निविदा दरदातामेसर्स हुलास जैन बिल्डकांन इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर 11.187 प्रतिशत अधिक सहित कुल राशि रूपये 10,04,40,000/– की (प्रतिमाह मासिक बिल राशि रूपये 27,90,000/–) निविदा दर स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

3. उपरोक्त स्वीकृत निविदा के क्रम में विभाग द्वारा 3 माह की अवधि (1 अप्रेल 2015 से 30 जून 2015 तक) का कार्य आदेश जारी करे। उक्त अवधि में संबंधित फर्म का कार्य सन्तोषप्रद होने पर अवधि वृद्धि करने अथवा कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में निविदा पर निर्णय लेने हेतु मेयर–इन–कौंसिल को अधिकृत किया जावे।

4. कार्य मानक स्तर एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 20–21 दिनांक 6.4.15

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 10

<u>मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 12 दिनांक 30–03–2015</u>

सिंहस्थ एवं जेएनएनयूआरएम कार्यों हेतु वेरिएशन एप्रूबल कमेटी के गठन के अनुमोदन करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 299/ज.य. एवं ड्रे.यो.शा./न.पा.नि./इन्दौर दिनांक 13.03.2015 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में संक्षेपिका में उल्लेखित कार्यों/बिन्दुओं पर अनुशंसित करने एवं स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार वेरिएशन एप्रूबल कमेटी के गठन के अनुमोदन विभागीय प्रस्ताव अनुसार किया जाता है :–

1– आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर – अध्यक्ष

2— अधीक्षण यंत्री, जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज योजना — सदस्य
3— एकाउन्ट ऑफीसर — सदस्य
4— कार्यपालन यंत्री, (नर्मदा) द्वय — सदस्य
(अपने—अपने प्रकरणों में)
5— सहायक यंत्री (नर्मदा) — सदस्य
6— टीम लीडर/कंट्रक्शन मैनेजर कन्सल्टैन्ट(अपने—अपने प्रकरणों में) — सदस्य एवं प्रस्तुत कर्ता।

3. श्री एस.व्ही. राजवाड़े अधीक्षण यंत्री, लोक स्वा.या.वि. नर्मदा परियोजना मंड़ल, इन्दौर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे जिनको आयुक्त नगर पालिक निगम के निर्देशानुसार समय—समय पर बुलाया जावेगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर—इन—काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 26—27 दिनांक 20.7.15

प्रतिलिपिः—
1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 11

<u>मेयर—इन—काउंसिल संकल्प क्रमांक 13 दिनांक 30—03—2015</u>

सिंहस्थ—2016 अन्तर्गत सांवेर रोड़ इन्डस्ट्रियल क्षेत्र में निर्माण होने वाले एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माण हेतु भूमि के संबंध में आयुक्त का पत्र कमांक 05/ज.य. एवं ड्रे.यो.शा./न.पा.नि./इन्दौर दिनांक 06.04.2015 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसारसांवेर रोड़ इंडस्ट्रीज एरिया सेक्टर—एफ में 19950 वर्गमीटर भूमि एफ्लुएन्ट के ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण करने के लिए नगर निगम इन्दौर को हस्तांतरित करने हेतु दिनांक 30—03—2015 को कलेक्टर जिला—इन्दौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय व कलेक्टर जिला इन्दौर की अनुशंसा तथा मेसर्स सांवेर रोड इंडस्ट्रियल कॉमन एफ्लुएन्ट कंपनी प्रा. लि. इन्दौर डायरेक्टर श्री सुभाष जैन द्वारा द्वारा लीज पर ली गई गई भूमि नगर पालिक निगम, इन्दौर को एफ्लुएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण करने हेतु लीज सरेण्डर करने की दी गई सहमति के क्रम में उद्योग विभाग से ट्रीटमेंट प्लांट कार्य हेतु जमीन लेने हेतु नियमानुसार आवेदन करने तथा कार्य हेतु जमीन लेने एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वर्णित कुल राशि रूपये 1,19,358/— उद्योग विभाग को जमा करने एवं निर्माण पश्चात संचालन एवं संधारण का व्यय बैनिफिसरी से एफ्लुएन्ट की मात्रा एवं क्वालिटी के आधार पर शुल्क/टैक्स लेकर करने तथा मेसर्स सांवेर रोड इंडस्ट्रियल कॉमन एफ्लुएन्ट कंपनी प्रा. लि. इन्दौर द्वारा जो व्यय जमीन की कीमत/लीज विकास व्यय एवं रजिस्ट्री व्यय किया गया हैं उसको प्लान्ट के संचालन एवं संधारण के दौरान अंश राशि के समानुपात में टैक्स/शुल्क से किश्तों में समायोजित करने की स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में उद्योग विभाग से ट्रीटमेन्ट प्लांट कार्य हेतु जमीन लेने के लिये नियमानुसार आवेदन करने तथा जमीन लेने हेतु महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वर्णित कुल राशि रुपये 1,19,358/— जमा करने की विभागीय प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी जाती है। शुल्क/टेक्स एवं मेसर्स सांवेर रोड इंडस्ट्रियल कॉमन एफ्लुएन्ट कंपनी प्रा. लि. इन्दौर द्वारा व्यय राशि समायोजन के लिये पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावें। नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 24–25 दिनांक 20.7.15

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 14 दिनांक 30–03–2015

जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज परियोजना सैल के लिए सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्यों हेतु उच्चाधिकार प्राप्त टैक्निकल एवैलुएशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 296/न.पा.नि./इन्दौर, दिनांक 13–03–2015 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 04 दिनांक 27. 03.2015 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्यों हेतु संबंधित क्षेत्रों में दक्ष तकनीकी विद एवं शिक्षाविद् की तकनीकी रूप से मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग करने हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1–	मान्नीय महापौर, नगर पालिक निगम	–	पदेन अध्यक्ष
2–	प्रभारी, जलकार्य	–	सदस्य
3–	आयुक्त, नगर पालिक निगम	–	सदस्य
4–	श्री व्ही.के. जैन, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं पूर्व अध्यक्ष म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल	–	सदस्य
5–	श्री एस.के.श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, प्रमुख अभियंतालोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	सदस्य
6–	श्री ए.के. ठाकुर, सेवानिवृत्त, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	सदस्य
7–	श्री डी.जे. किल्लेदार, प्रोफेसर इन एन्वरॉयमैन्टल इंजीनियरिंग, श्री एसजीएसआईटीएस, इन्दौर	–	सदस्य
8–	श्री जी.डी. अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंतालोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	सदस्य
9–	श्री डी. के. बड़जात्या, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंतालोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	सदस्य
10–	श्री प्रभाष सांखला, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्रीलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं पूर्व प्रोजेक्टमैनेजर उदय	–	सदस्य
11–	संबंधित अधीक्षण यंत्री/प्रोजेक्ट मैनेजर/सिटीइंजीनियर	–	सदस्य सचिव
12–	संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री	–	सदस्य

(बिन्दु क्र.11 में उल्लेखित अधिकारियों कीअनुपस्थिति में कार्यपालन यंत्री सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे)

3. समिति के पास संक्षेपिका में उल्लेखित बिन्दु क्र. 01 से 09 तक दायित्व रहेंगे तथा इस सैल के अलावा अन्य विभागों में भी जहॉ इस तरह के कार्य चल रहे है, वहॉ भी इससे सलाह ली जा सकती है। सदस्यों को उपस्थिति के आधार पर 1001/–का मानदेय देने तथा साईट निरीक्षण के दौरान निगम द्वारा वाहन की व्यवस्था कराने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़

महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक   दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्ट आडिट।

की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर